न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विभिन्न पत्र संख्या : 115/2024

प्रार्थीनी अप्रार्थी

सत्यवती बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

किस्म मुकदमा– राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.2024	प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ,136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र ग्राम हनुमान नगर के खसरा नम्बर 423 व 424 एव ग्राम हमीर नगर के खसरा नम्बर 202 व ग्राम गोलिया मगरा के खसरा नम्बर 304/204 मे प्रार्थीनी का उक्त खसरान की कृषि भूमि मे सत्यवती के स्थान पर सतकी दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थीनी का सही नाम वास्तविक नाम सत्यवती है। इसलिए प्राथीनी द्वारा सतकी के स्थान पर सत्यवती किया जाने निवेदन किया गया । प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी किये गया तथा तहसीलदार लूणी से जबाव वास्ते तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्र कमाक/भू.अ/2024/3317 दिनाक 14.11.2024 के द्वारा प्रकरण मे जबाव प्राप्त हुआ। जिसमे बताया गया कि ग्राम हनुमान नगर के खसरा नम्बर 423, 424 कुल रकबा 4.4515 हैक्टर ग्राम हमीरनगर के खसरा नम्बर 202 रकबा 18.8826 हैक्टर भूमि की मौका व रिकार्ड की जॉच हल्का पटवारी फीच से करवायी गई पटवारी रिपोर्ट के अनुसार विरासत का नामान्तकरण संख्या 135 व 156 के अनुसार पोकरराम फौत होने पर सतकी नाम दर्ज हुआ जिसे प्रार्थी सतकी के स्थान पर सत्यवती करवाना चाहती है जबकि पटवारी रिपोर्ट अनुसार सतकी एव सत्यवती एक ही व्यक्ति होना बताया गया। अतः– प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व, अधिनियम को प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम हनुमान नगर के खसरा नम्बर 423 व 424 एव ग्राम हमीर नगर के खसरा नम्बर 202 व ग्राम गोलिया मगरा के खसरा नम्बर 304/204 मे प्राथीर्नी का नाम सतकी के स्थान पर सत्यवती उर्फ सतकी नाम दर्ज किया जावे पालना रिपोर्ट वास्ते तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	